वंडिफॉल टैक्स

[स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स]

हाल ही में भारत सरकार ने **घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल** पर [वंडिफॉल टैक्स] को 3,250 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर **6,000 रुपए प्रति टन** कर दिया है।

- वंडिफॉल टैक्स **एक प्रकार का कर है जो उन कंपनियों अथवा व्यक्तियों पर** लगाया जाता है जिन्होंने **अप्रत्याशित रूप से अथवा नाटकीय रूप से अत्यधिक लाभ अर्जित** किया है, जो **प्रायः उनके नियंत्रण से परे बाह्य कारकों के कारण** होता है।
    - यह सामान्यतः **तेल, गैस एवं खनन** जैसे उद्योगों पर लगाया जाता है।
    - इसका **उद्देश्य कम्पनियों द्वारा अर्जित असाधारण लाभ** का एक हिस्सा प्राप्त करना **तथा उसे सार्वजनिक हित के लिये पुनर्वितरित** करना है।
    - यह ऊर्जा उद्योग में **पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं उत्तरदायित्वपूर्ण आर्थिक प्रथाओं को बढ़ावा देने हेतु** एक रणनीतिक उपाय है।
- इस बढ़ोतरी से **भारत में कार्यरत तेल कंपनियों के लाभ प्रभावित** होगा और साथ ही **उनकी आय भी कम** हो जाएगी।
- भारत ने **पहली बार 1 जुलाई 2022 को वंडिफॉल लाभ पर कर लागू** किया, जो अन्य देशों के साथ संरेखित है जो ऊर्जा कंपनियों के अत्यधिक लाभ पर कर लगाते हैं।
- कर दरों का **प्रति दो सप्ताह में पुनर्मूल्यांकन** किया जाता है, जिसमें पिछले पखवाड़े की अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों को ध्यान में रखा जाता है।

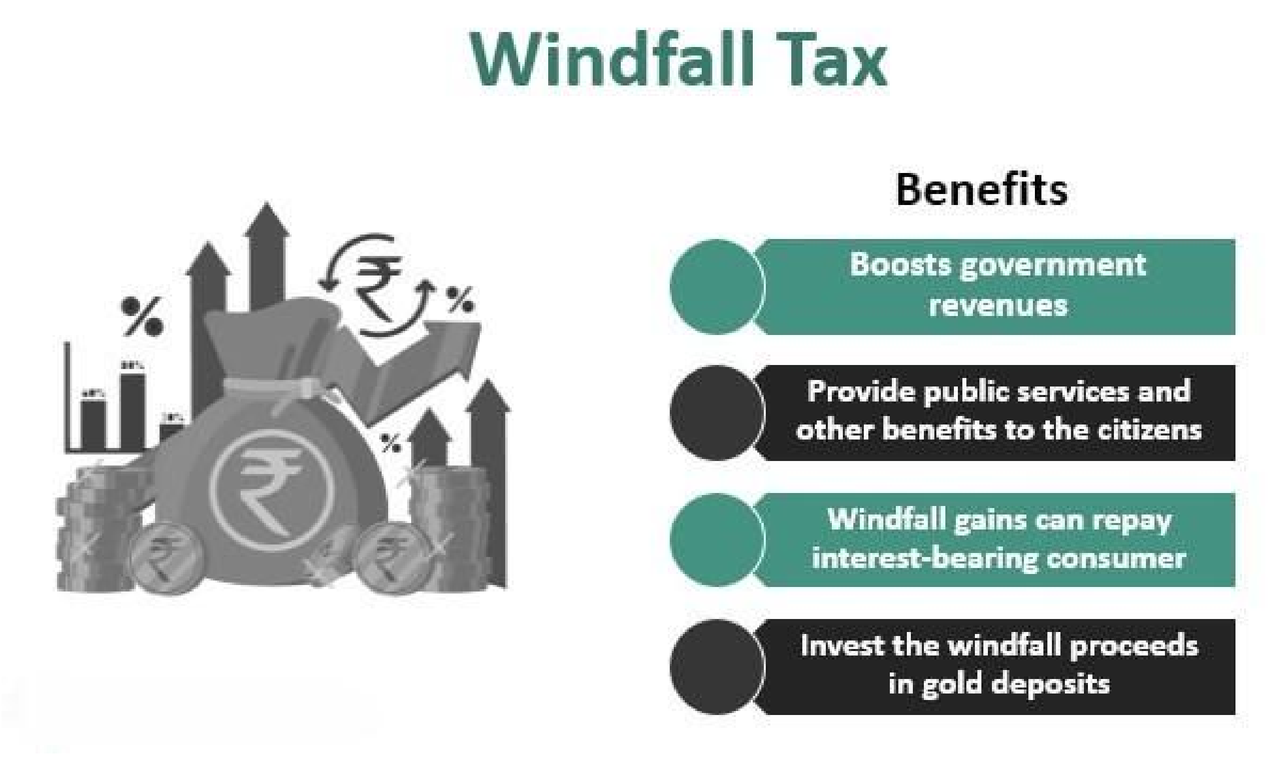

और पढ़ें: [वंडिफॉल टैक्स]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/windfall-tax-2